कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस - विज्ञप्ति

दिनांक- **08.05.2023**

थाना कोतवाली द्वारा डीएवी ग्राउण्ड में क्रिकेट कोच की हत्या के प्रयास में असलहों के खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के एक सदस्य को एक अदद पिस्टल .32 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया गया।

दिनांक 01.05.2023 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत डीएवी ग्राउण्ड में क्रिकेट कोच को 02 अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारने की घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली में मु.अ.सं.-58/2023 धारा 307/120बी/34 भादवि पंजीकृत हुआ। उक्त पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगण 1. रामजी दूबे 2.मो0 नीम खान 3. प्रभात दास 4.मो0 नसीम कुरैसी 5. मनीष सिंह को दिनांक-07.05.2023 को जेल भेजा चुका है तथा पुलिस उपायुक्त **काशी-जोन श्री आर. एस. गौतम के निर्देशन में** टीम गठित कर घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया था जिसके क्रम में आज दिनांक 08.05.2023 को थाना पुलिस कोतवाली द्वारा विवेचना व घटना में संलिप्त अभियुक्तों से प्राप्त साक्ष्य संकलन व मुखबीरी सूचना के आधार पर क्रिकेट कोच की हत्या के प्रयास में प्रयुक्त असलहे के खरीद फरोख में संलिप्त अभियुक्त **गणेश कुमार गुप्ता पुत्र राधे मोहन गुप्ता नि0 डी 65/467 लहरतारा थाना मडुआडीह वाराणसी उम्र करीब 34 वर्ष** को समय 10.15 बजे **कम्पनी गार्डेन के अंदर हनुमान मंदिर के पास से एक अदद पिस्टल .32 बोर** के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0060/2023 धारा 3/7/25/29 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 0060/2023 धारा 3/7/25/29 आर्म्स एक्ट व 419/420/467/468/471 भादवि व मु0अ0सं0 0062/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	213/17	392/411 भादवि	जंसा	कमि0 वाराणसी
2.	407/17	392/411 भादवि	जंसा	कमि0 वाराणसी
3.	419/17	307/34 भादवि	जंसा	कमि0 वाराणसी
4.	420/17	41/411 भादवि	जंसा	कमि0 वाराणसी
5.	217/17	120बी/307/34/392/411 भादवि	लोहता	कमि0 वाराणसी
6.	49/19	323/504/506 भादवि	मण्डुवाडीह	कमि0 वाराणसी
7.	112/09	3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट व 323/452/504/506 भादवि	मण्डुवाडीह	कमि0 वाराणसी
8.	60/23	3/7/25/29 आर्म्स एक्ट व 419/420/467/468/471 भादवि	कोतवाली	कमि0 वाराणसी
9.	62/23	3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	कमि0 वाराणसी

<u>गिरफ्तार अपराधी का विवरण-</u>

1. गणेश कुमार गुप्ता पुत्र राधे मोहन गुप्ता नि0 डी 65/467 लहरतारा थाना मडुआडीह वाराणसी उम्र करीब 34 वर्ष।

<u>पूछताछ विवरणः-</u>गणेश कुमार गुप्ता पुत्र राधे मोहन गुप्ता निवासी डी 64/467 लहतरारा वाराणसी उम्र करीब 34 वर्ष पूछताछ के दौरान बताया कि मैं मनीष सिंह पुत्र शिवराज सिंह नि0 प्लाट नं0 70 गणपति नगर पहडिया थाना सारनाथ वाराणसी जो वकील हैं तथा अवैध असलहों को खरीदने बेचने का काम करते हैं जिनका एक गिरोह है और मैं भी उस गिरोह का सदस्य है और उन्ही के साथ मिलकर खरीदने व बेचने का काम करता हूं। हम सभी लोग मिलकर व्हाट्सप पर असलहों का फोटो भेजकर असलहों को खरीदने बेचने का काम करते है। मेरे पास दो मोबाइल है, उन्ही मोबाइलों में मेरे द्वारा मनीष सिंह से व्हाटशप चैटिंग में असलहों के फोटो को भेजा गया है व मंगाया गया है व चैटिंग की गयी है।

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समय –</u> दिनांक 08.05.2023 को समय 10.15 बजे बजे, कम्पनी गार्डेन के अंदर मंदिर के पास उत्तरी गेट

<u>विवरण बरामदगी –</u> 01 अदद पिस्टल .32 बोर मय मैंगजीन व दो अदद मोबाइल फोन।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

प्र0नि0 अश्वनी कुमार चतुर्वेदी थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।

उ0नि0 सुभाषचन्द्र वर्मा थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।

हे0का0 धीरेन्द्र यादव थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।

हे0का0 जितेन्द्र यादव थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त,
जोन काशी कमिश्नरेट
वाराणसी।